सेवामे,

दिनांक 25/9/16

श्रीमान केम्पप्रभारी / सभी प्रतिभागी

मुकन्दरा टाईगर रिजर्व कोटा (राज.)।

विषय:– मुकन्दरा अभ्यारण में बसे गरीब वनवासी ग्रामीणों को विस्थापन एवं समस्याओं से अवगत कराने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निम्न सुझाव मुकन्दरा में टाईगर छोड़ने हेतु आवश्यक है जो निम्न है।

1. यह कि मुकन्दरा जंगल के हर 8 कि.मी. की दूरी पर एक गाव बसा हुआ है। जब तक गांव को विस्थापित नही किया जाता टाईगर लाकर ग्रामीणों व टाईगरों में आपसी हमले की सम्भावना रहेगी।
2. हमारे बुजुर्ग बताते है कि शेर जंगल का राजा इसलिए कहलाता है कि वह 12 कोस यानी 36 कि.मी. के क्षैत्र में एक ही शेर रहता है, और दूसरे कमजोर शेर को वह मारकर भगा देता है।
3. मेरे कहने का उद्देश्य वर्तमान में घना जंगल केवल कोलीपुरा से दरा एवं चॉदबावड़ी से विजयपुरा घाटी का एरिया कोलीपुरा से दरा 32 कि.मी. एवं चॉदबावड़ी से विजयपुरा घाटी 3 कि.मी. है इसमें भी चार गॉव बसे है। अतः ग्रामीणों का विस्थापित होना जरूरी है।
4. विस्थापन में यह बात मैं आपके ध्यान में लाना जरूरी है, क्योंकि जब राणा प्रताप सागर बांध एवं गांधी सागर बांध बना तब वहॉ से गिरधरपुरा में बसाया था और वे लोग अभी जिन्दा है। क्या जीवन में एक ही आदमी दो बार उसकी बिना ईच्छा के वहॉ से हटा सकती है।
5. अतः हमारा सुझाव है कि जिस तरह उदयपुर में रूज्जनगढ़ को बायोलोजिकल पार्क बनाया उस तरह का यहॉ पर बन सकता है। जब गॉव विस्थापित हो जावे तब टाईगर लाये जाए।
6. अगर गॉव विस्थापन में बाधा हो तो कोलीपुरा में रावतभाटा रोड़ को ऐलीवेटेड ओवर ब्रिज रोड बनाना पडेगा।

गॉव गिरधरपुरा के चारों तरफ बाउन्ड्री बनाकर यहॉ पर भी ओवर ब्रिज 4 कि.मी. का रोड जो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी को जोड़ देगा। वनों का नुकसान नहीं होगा यह भी सही कदम रहेगा ताकि जंगली जीव सड़क के नीचे विचरण कर सके।

विस्थापन हेतु ग्रामीणों की मागें जो 2006 से हम सरकार से कर रहे है। जो निम्न है।

1. यह कि भूमि के बदले भूमि, भूमिहीन को भी भूमि मिले।
2. मुआवजा प्रति 18 वर्ष के सदस्य को 20 लाख मिले।
3. गॉव बसाकर आधारभुत सुविधाऐं विकसित की जायें।
4. अगर भूमि नही मिले तो परिवार के एक सदस्य के सरकारी नौकरी जैसे पहले फैरात व गार्ड बना देते थे उस तरह नौकरी भी दे दे।
5. बसने हेतु वन विभाग की कोटा के निकट दौलतगंज से स्थकांकरा एवं केबल नगर से अन्नतपुरा के पास पर्याप्त भूमि है। जिसे मिलने पर ग्रामीण हटने को तैयार है।
6. ग्रामीणों को नये भूमि अधिग्रहण कानून के हिसाब से मुहावजा व सुविधाऐं मिले।

नन्दलाल मेघवाल
सरपंच
ग्राम पंचायत डोल्या
निवासी गिरधरपुरा मुकन्दरा टाईगर
रिजर्व कोटा
मो. 9928140860